सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी की सेवा लेगा बिहार

पटना. बिहार रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने मध्यस्थता के आधार पर मामलों को निपटाने के लिए सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं की सेवाएं लेने का फैसला किया है. इसके लिए बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (बीएसएलएसए) से मध्यस्थता में विशेषज्ञता रखने वाले सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों व अधिवक्ताओं की सूची ली गयी है. सहमति देने वाले अधिकारियों के लिए लिए प्राधिकरण ने 31 जनवरी को विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है, ताकि उन्हें रेरा अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों के साथ-साथ इसके तहत बनाये गये नियमों और विनियमों से परिचित कराया जा सके.